यालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

पत्र संख्या :–245 / 2022 दायर दिनांक: 31.10.2022

NO:- 2022/483 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

बाबूलाल पुत्र मु श्री रामधन जाति धाकड नि0 रामपुरिया प0म0 मानपुरा तहसील नैनवॉ

– प्रार्थी

बनाम

1. प्रभूलाल आ. ग्यारसा जाति धाकड नि. रामपुरिया।
2. रामप्रसाद आ0 ग्यारसा जाति धाकड नि0 रामपुरिया।
3. जंशी आ0 ग्यारसा जाति धाकड नि0 रामपुरिया।
4. हेमराज पुत्र मु. मोती जाति धाकड नि0 रामपुरिया।
5. आत्माराज आ0 बिरधीलाल जाति धाकड नि. रामपुरिया।
6. भूस्वामी जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल गुर्जर।

अप्रार्थी सं 01 लगायत 3, 5 की ओर से वकील श्री रामस्वरूप धाकड।

निर्णय दिनांक 20.05.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रामपुरिया प.म. मानपुरा की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 52 पुराना 50 के खसरा नम्बर 66 रकबा 3.8832 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थी एवं प्रत्यार्थीगण ने आपस मे मौके पर सहमति से विभाजन कर रखा है जिसमे विभाजन से प्रार्थी का हिस्सा निहित है एवं विभाजन अनुसार ही अपने अपने हिस्से पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है।

यह कि उक्त भूमि पर जाने के लिए ग्रेवल सडक से अपने खेत पर आने जाने के लिए अपने पूर्वजों के समय से ही 15 फीट चौडा रास्ता बना हुआ है जो खसरा नम्बर 60 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे होकर खसरा नम्बर 59 / 461 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे होकर खसरा नम्बर 66 मे पहुंचता है व खसरा नम्बर 66 के उत्तरी व पश्चिमि मेड के सहारे सहारे होकर अपने बंटवारे हिस्से मे आई कृषि भूमि पर पहुंचता है जो पूर्व काल से ही निरन्तर इसी रास्ते मे होकर प्रार्थी आता जाता है तथा ट्रेक्टर व अन्य कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के काम मे लेता चला आ रहा है। इस रास्ते को परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया हुआ है।

प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 5 प्रार्थी से रंजिश रखते है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 60 प्रत्यार्थी संख्या 5 आत्माराम व खसरा नम्बर 59 / 461 प्रत्यार्थी संख्या 1 प्रभूलाल के खातेदारी की कृषि भूमि है एवं खसरा नम्बर 66 प्रार्थी व प्रत्यार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता एवं दादाजी के खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी एवं प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 5 ही काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रत्यार्थीगण के पिता व दादाजी की मृत्यु हो चुकी है। उक्त खसरा नम्बर 66 मे प्रार्थी का भी विभाजन अनुसार हिस्सा निहित है। प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 प्रार्थी को अपने हिस्से की कृषि भूमिप र आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने मे विगत 1 माह से रास्ता बंद करने का प्रयास कर रहे है व रास्ते मे आने जाने मे अवरोध उत्पन्न कर रहे है व जान से मारने की धमकी दे रहे है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामस्वरूप धाकड द्वारा वकालातनामा पेश किया। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट 23.6.2023 को ही प्राप्त हो चुकी थी।

हमने प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 66 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ